

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक 5383 /

जबलपुर, दिनांक 18/12/19

दो-13-48/2006 Pt-II

श्रीमती ममता दास, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक 03.09.19 से 18.11.19 तक 77 दिन का अर्जित अवकाश इस चेतावनी के साथ स्वीकृत किया जाता है कि वे भविष्य में कार्यालय में बिना सूचना/आवेदन पत्र के अपने कर्तव्य पर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहेंगे तो आपके विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। साथ ही रजिस्ट्री आदेश क्रमांक डी/7291 दिनांक 21.11.19 के द्वारा रोके गये वेतन का भुगतान किया जाता है।

सही/-

(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

पृष्ठांकन क्रमांक 5383 /

जबलपुर, दिनांक 18/12/19

दो-13-48/2006 Pt-II

प्रतिलिपि :-

1. ✓ चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे) लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. सहायक सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल/वेतन पत्रक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्रीमती ममता दास, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(किशोर पिठवे)
ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम) (पी)